न्यायालय श्रीमान् परगनाधिकारी सैदपुर

वाद सं0–50/10.7.13 धारा–143 ज0वि0अ0

मौजा–गौरा, परगना–बहरियाबाद, जिला–गाजीपुर

राजेश सिंह (प्रबन्धक) शिव शंकर सिंह महाविद्यालय (फार्मेसी) गौरा, सादात, गाजीपुर।	बनाम	सरकार

10.07.2017

आदेश

आज पत्रांवली नायब तहसीलदार सैदपुर की जॉच आख्या के साथ प्राप्त होकर पेश हुई। प्रार्थी राजेश सिह पुत्र स्व0 शिवशंकर सिंह ग्राम–जगदीशपुर, पोस्ट–भीमापार, जिला–गाजीपुर द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर याचना किया कि गाटा संख्या 1052/4 रकबा 1.3480हे0 स्थित मौजा–गौरा, परगना–बहरियाबाद, तहसील–सैदपुर, जिला–गाजीपुर का संक्रमणी भूमिधर काबिज दाखिल है। उपरोक्त आराजी प्रार्थी द्वारा जरिये पंजीकृत बैनामा दिनांक 06.05.2016 को शिव शंकर सिंह शिक्षा समिति जगदीशपुर, भीमापार, गाजीपुर द्वारा संचालित शिव शंकर सिंह महाविद्यालय गौरा, सादात, गाजीपुर के नाम लिया है। उक्त सभी आराजी चहार दिवारी पक्का निर्माण से जुड़ा है उक्त रकबे में कृषि कार्य नही किया जाता है। उक्त मौजा की आराजी नम्बर की भूमि को कृषि से अकृषिक लगान मुक्त घोषित करने का आदेश प्रदान करने की कृपा किया जावें। नायब तहसीलदार की जॉच आख्या है कि गाटा संख्या 1052/4 रकबा 1.3480हे0 स्थित मौजा–गौरा, परगना–बहरियाबाद, तहसील–सैदपुर, जिला–गाजीपुर मौके पर प्रबन्धक राजेश सिह पुत्र स्व0 शिवशंकर सिंह ग्राम–जगदीशपुर, पोस्ट–भीमापार, जिला–गाजीपुर द्वारा प्रस्तावित शिवशंकर सिंह महाविद्यालय (फार्मेसी), गौरा, सादात, गाजीपुर का अहाता है। जिसमें कृषि कार्य नही किया जाता है। अतः उपरोक्त आराजी को धारा 143 नियम 135 (1) ज0वि0अ0 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित कर लगान मुक्त करने हेतु रिपोर्ट प्रेषित हैं।

अतः नायब तहसीलदार सैदपुर की आख्या दिनांक 10.07.2017 से सहमत होते हुए प्रबन्धक राजेश सिह पुत्र स्व0 शिवशंकर सिंह ग्राम–जगदीशपुर, पोस्ट–भीमापार, जिला–गाजीपुर की गाटा संख्या 1052/4 रकबा 1. 3480हे0 भूमि को धारा 143 नियम 135 (1) उ0 प्र0 ज0वि0अ0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के तहत आबादी अकृषिक घोषित करते हुए लगान मुक्त किया जाता हैं। तदनुसार परवाना जारी हो बाद अमलदरामद पत्रांवली दाखिल दफ्तर हो।

उप जिलाधिकारी सैदपुर–गाजीपुर
परगनाधिकारी
सैदपुर
10.07.2017

रिशिष्ट–II]

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016

आर0 सी0 प्रपत्र–25

उपजिलाधिकारी के समक्ष सैदपुर तहसील

गाजीपुर जिला

उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा 80(1) के अन्तर्गत उद्घोषणा हेतु आवेदन

1. आवेदक का नाम राजेश सिंह
2. पितृनाम और पता स्व0 शिवशंकर सिंह ग्रा0 जगदीशपुर पो0 मीरापुर जि0 गाजीपुर
3. जोत का विवरण (खाता खतौनी संख्या, क्षेत्रफल, गांव, तहसील इत्यादि) 1052/4, 1.348 ख़ैरा, सैदपुर
4. देय भू–राजस्व शून्य
5. गैर कृषि कार्य के उद्देश्य से प्रयुक्त जोत का क्षेत्रफल महाविद्यालय का निर्माण क्षे0 1.3480 हे0
6. विशिष्ट गैर कृषि जिसके लिये जोत अथवा उसके किसी भाग का, प्रयोग हो रहा हो ×
7. पूरे जोत अथवा उसके किसी भाग की उद्घोषणा चाही गयी है सम्पूर्ण
8. प्रार्थना

तह0 सैदपुर
उचित कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करें।
S.D.M.
22/8/018

आवेदक हस्ताक्षर
[signature]

दिनांक

रा0 नि0
उपरोक्त सन्दर्भ में रिपोर्ट प्रेषित करें।
तहसीलदार
23-9-18

श्रीमान
आराजी नं0 1052/04 रकबा 1.3480 हे0
जो ग्राम खैरा परगना सैदपुर तह0 सैदपुर जिला गाजीपुर में स्थित है। उक्त [illegible] स्थित है जहां विद्यालय के नाम से कालेज की स्थापना की जा चुकी है। [illegible] धारा 143 से अकृषिक घोषित किया जाना है तथा [illegible] महाविद्यालय के लिये ही प्रयोग में लाया जा रहा है।
रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है।

[signature] लेखपाल 24-9-18
रा0 नि0

उप जिलाधिकारी सैदपुर-गाजीपुर